JD(T)

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–01
संख्याः–430 / XXII-1 / 2021–01(11) 2015
देहरादूनः दिनांक 11 दिसम्बर, 2021

11.12.2021

अधिसूचना

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित किये जाने वाले शासकीय विज्ञापनों को विनियमित किये जाने हेतु प्रस्तावित "उत्तराखण्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली, 2015 (समय समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करते हुये उत्तराखण्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन मान्यता (संशोधन) नियमावली 2021 एक प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है।

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

संख्याः– 430 / XXII-1 / 2021–01(11) 2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधानसभा, देहरादून।
6. आयुक्त कुमायूं / गढ़वाल मण्डल।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
10. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
11. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नियमावली का प्रकाशन राजकीय गजट में प्रकाशित कर नियम की 200 प्रतियां सूचना अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(रणवीर सिंह चौहान)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–1
संख्या– 430 /XXII(1)/2021/1(11)15
दिनांकः 1) दिसम्बर, 2021

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 162 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली, 2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात–

उत्तराखण्ड इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ 1. 1(क) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता (संशोधन) नियमावली, 2021 है।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 6 का संशोधन 2. (2) उत्तराखण्ड इलैक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली, 2015 (जिसे एत्स्मिनपश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के उपनियम (2) के खण्ड (एक), (तीन), (चार), (सात) एवं (चौदह) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेगें, अर्थात्–

	स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्दारा प्रतिस्थापित खण्ड
6(2)	(एक) चैनल प्रतिदिन कम से कम 16 घण्टे अवधि में (प्रातः 7AM से 11PM) न्यूनतम एक वर्ष से प्रसारित हो रहा हो।	(एक) चैनल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार में न्यूज चैनल की श्रेणी में अनुज्ञापित हो तथा न्यूनतम एक वर्ष से प्रसारित हो रहा हो।
	(तीन) चैनल का नियमित प्रसारण हो रहा है, के सम्बन्ध में EMMC (GOI) (Electronic Media Monitoring center) या राज्य के मनोरंजन कर आयुक्त की रिपोर्ट अथवा महानिदेशक द्वारा निर्धारित कोई प्रतिष्ठित संस्था की रिपोर्ट।	(तीन) विलोपित।

(चार) चैनल द्वारा उत्तराखण्ड पर आधारित न्यूनतम कुल 80 मिनट का न्यूज बुलेटिन प्रतिदिन तीन माह से प्रसारित हो रहा हो। 80 मिनट की अवधि में Talk Show/Interview तथा विज्ञापन सम्मिलित नहीं होंगे।	(चार) चैनल द्वारा उत्तराखण्ड पर आधारित 30–30 मिनट के न्यूनतम 03 बुलेटिन प्रतिदिन प्रसारित हो रहा हो, जिसके सम्बन्ध में चैनल को आवेदन की तिथि से 03 माह पूर्व के न्यूज बुलेटिनों की फुटेज उपलब्ध करानी होगी।
(सात) केबल प्रसारण की सत्यता की जांच सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिला सूचना अधिकारी अथवा जिला मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा कराई जायेगी। सम्बन्धित जिला सूचना अधिकारी/ मनोरंजन कर अधिकारी की रिपोर्ट व चैनल के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में भिन्नता होने पर अंतिम निर्णय महानिदेशक सूचना का मान्य होगा।	(सात) केबल में प्रसारण की सत्यता के सम्बन्ध में चैनल को केबल आपरेटरों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला सूचना अधिकारी से सत्यापित कर सूचीबद्वता किये जाने हेतु अभिलेख के रूप में विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना होगा। उक्त प्रारूप महानिदेशक सूचना द्वारा पृथक से निर्धारित किया जायेगा।
(चौदह) सूचीबद्वता के लिए उपरोक्त मापदण्डो के कतिपय बिन्दुओ पर मा0 मुख्यमंत्री/ विभागीय मंत्री उत्तराखण्ड स्वविवेक के आधार पर शिथिलता प्रदान करते हुए चैनल को सूचीबद्व कर सकते है।	(चौदह) सूचीबद्धता के लिए उपरोक्त मापदण्डों पर प्रशासकीय विभाग द्वारा मा0 मुख्यमंत्री/ विभागीय मंत्री के अनुमोदन से शिथिलता प्रदान करते हुए चैनल को सूचीबद्ध किया जा सकता है।

नियम 7 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 7 में –

(i) उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 विद्यमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्दारा प्रतिस्थापित उपनियम
7. दर निर्धारण एवं विज्ञापन निर्गत करना	7. दर निर्धारण करना
(1) महानिदेशक द्वारा चैनल को तीन टाइम बैण्ड में विज्ञापन निर्गत किया जायेगा।	(1) विभाग द्वारा किसी भी समय अवधि के लिए विज्ञापन निर्गत किया जा सकता है।

(एक) प्राईम टाईम बैण्ड (5 PM to 11 PM)

(दो) द्वितीय टाईम बैण्ड (12 PM to 4.59PM)

(तीन) तृतीय टाईम बैण्ड (7 AM to 11.59 AM)

महानिदेशक को निर्णय करने का अधिकार होगा कि किसी चैनल को किस टाइम बैण्ड में विज्ञापन प्रसारित कराया जाय।

(ii) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेगें, अर्थात्

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्दारा प्रतिस्थापित खण्ड
(2) विभागीय दरें चार श्रेणी में होंगी :–	(2) विभागीय दरें चार श्रेणी में होंगी :–
क) 1200 रुपये प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :	क) 1200 रुपये प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :
(एक) चैनल उत्तराखण्ड के सभी जिला मुख्यालयों तथा परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में (जिनकी जनसंख्या 10 हजार या अधिक हो) न्यूनतम 15 क्षेत्रों में केबल टीवी पर प्रसारित हो रहा हो	(एक) चैनल उत्तराखण्ड के सभी जिला मुख्यालयों तथा परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में (जिनकी जनसंख्या 10 हजार या अधिक हो) न्यूनतम 15 क्षेत्रों में केबल टीवी पर प्रसारित हो रहा हो,
और	और
(दो) न्यूनतम 4 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो	(दो) न्यूनतम 4 डी.टी.एच सेवाओं पर प्रसारण हो रहा हो।
और	और
(तीन) Number of OB ven न्यूनतम 1 हो, जो महानिदेशक सूचना द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यशील कर दी जाएगी।	(तीन) Number of OBvan/ Portable LIVE View न्यूनतम 1 हो,
और	और
(चार) Davp Empanelment अनिवार्य है।	(चार) Davp Empanelment अनिवार्य है।

और	और
(पॉच) Channel on air 24 घण्टे अनिवार्य है।	(पॉच) Channel 24 घण्टे on air अनिवार्य है।
(ख) रू. 800 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :	**(ख) रू. 800 प्रति 10सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें**
(एक) न्यूनतम 9 जिला मुख्यालयो (राज्य मुख्यालय सहित) तथा परिशिष्ट ''क'' में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 10 क्षेत्रो में केबल टीवी पर प्रसारित हो रहा हो	एक) न्यूनतम 13 जिला मुख्यालयो (राज्य मुख्यालय सहित) तथा परिशिष्ट ''क'' में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 10 क्षेत्रो में केबल टीवी पर प्रसारित हो रहा हो
अथवा	**अथवा**
(दो) न्यूनतम 9 जिला मुख्यालयो (राज्य मुख्यालय सहित) पर केबिल आपरेटरों तथा न्यूनतम 03 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो।	(दो) **विलोपित।**
अथवा	अथवा
न्यूनतम 04 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो।	न्यूनतम 03 DTH सेवाओं पर प्रसारण हो रहा हो।
(ग) रू. 400 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :	**(ग) रू. 400 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :**
(एक) न्यूनतम 6 जिला मुख्यालयों (राज्य मुख्यालय सहित) पर तथा परिशिष्ट ''क'' में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 8 क्षेत्रों में केबल टी वी पर प्रसारित हो रहा हो	(एक) न्यूनतम 13 जिला मुख्यालयों पर (राज्य मुख्यालय सहित) पर तथा परिशिष्ट ''क'' में उल्लिखित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 8 क्षेत्रों में केबल टी वी
अथवा	अथवा
(दो) न्यूनतम 6 जिला मुख्यालयो (राज्य मुख्यालय सहित) पर केबिल आपरेटरों तथा न्यूनतम 2 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो।	(दो) विलोपित।
अथवा	अथवा
3 DTH सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अनुबंधित हो	न्यूनतम 02 DTH सेवाओं पर प्रसारण हो रहा हो।

(घ) रू. 100 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :	(घ) रू. 100 प्रति 10 सेकेण्ड हेतु पात्रता की शर्तें :
नियम 6 की शर्तें पूर्ण होने पर महानिदेशक सम्बन्धित चैनल को न्यूनतम दर अनुमन्य कर सकते हैं।	न्यूनतम 01 DTH सेवाओं पर प्रसारण हो रहा हो।

अन्य नियमों को कमांकित किया जाना

4. मूल नियमावली में नियम 7 के उपनियम (2) के खण्ड (घ) के पश्चात् विद्यमान नियम को नियम 8 के रूप में कमांकित कर दिया जायेगा तथा नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(एक) विलोपित	8. (एक) विलोपित
(दो) पुनः इस सशोधित नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व विभाग में विभिन्न दरों पर सूचीबद्व चैनलों को आगामी 30 सितम्बर 2016 तक पुरानी दरों पर सूचीबद्व माना जायेगा। नीति में निर्धारित श्रेणी क, ख, ग, घ के अनुरूप ही पूर्व में सूचीबद्व चैनल जो नई दरें प्राप्त कराना चाहते है उन्हे नई सूचीबद्वता के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदन करना होगा। यह पूर्णतः चैनल का दायित्व होगा कि वे विभागीय नीति के अनुरूप मानको को पूर्ण करें। अन्यथा पूर्व में चली आ रही सूचीबद्वता निरस्त हो जायेगी।	(दो) इस सशोधित नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व विभाग में सूचीबद्व चैनलों की सूचीबद्धता 6 माह तक के लिए मान्य/विस्तारित एवं सीमित होगी। विभाग में सूचीबद्ध चैनलों को नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त अवधि में पुनः सूचीबद्धता आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सूचीबद्धता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप महानिदेशक, सूचना द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(तीन) दरों में वृद्धि हेतु पुनरीक्षण कम से कम तीन वर्षों के अंतराल पर होगा। विभागीय सूचीबद्धता समिति की संस्तुति पर पुनरीक्षित दरें प्रशासकीय विभाग की अनुमति के उपरांत ही लागू होंगी। दरों में कमी हेतु विभागीय सूचीबद्धता समिति की संस्तुति पर प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्णय कभी भी लिया जा सकता है	(तीन) चैनलों की दरों में वृद्धि अथवा कमी हेतु विभागीय स्तर पर सूचीबद्धता के लिए नियमावली के प्रस्तर–4 में गठित संचालन समिति द्वारा चैनलों की दरों में वृद्धि अथवा कमी चैनल के डीटीएच सेवाओं में वृद्धि अथवा कमी तथा केवल प्रसारण में वृद्धि अथवा कमी के आलोक में प्रस्तर–7 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्णय कभी भी लिया जा सकेगा।
(चार) विज्ञापन फिल्मों के 15 सेकेण्ड, 25 सेकेण्ड, 35 सेकेण्ड, 45 सेकेण्ड आदि होने पर प्रोराटा आधार पर दरें लागू होंगी।	(चार) विज्ञापन फिल्मों के 15 सेकेण्ड, 25 सेकेण्ड, 35 सेकेण्ड, 45 सेकेण्ड आदि होने पर प्रोराटा आधार पर दरें लागू होंगी।
(पांच) विलोपित	(पांच) विलोपित
(छः) महानिदेशक सूचना एक बार में अधिकतम तीन करोड़ रुपये के विज्ञापन अभियान (कैम्पेन) स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे। इससे अधिक राशि का विज्ञापन अभियान राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया	(छः) विलोपित।
(सात) विज्ञापनों के भुगतान की अंतिम स्वीकृति महानिदेशक द्वारा दी जायेगी।	(सात) विज्ञापनों के भुगतान की अंतिम स्वीकृति महानिदेशक द्वारा दी जायेगी।
(आठ) भुगतान के पूर्व चैनल द्वारा विज्ञापन प्रसारण को प्रमाणित करने वाला Telecast Certificate और उसकी सत्यता का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इस विषय में महानिदेशक द्वारा यथावश्यकता समय–समय पर निर्देश जारी किया जायेगा।	(आठ) भुगतान के पूर्व चैनल द्वारा विज्ञापन प्रसारण को प्रमाणित करने वाला Telecast Certificate और उसकी सत्यता का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इस विषय में महानिदेशक द्वारा यथावश्यकता समय–समय पर निर्देश जारी किया जायेगा।

(नौ) सामान्यतः विभाग द्वारा चैनल के विज्ञापन व्यवस्थापकों को सीधे विज्ञापन निर्गत किया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में महानिदेशक सूचना विज्ञापन जारी करने के लिये विभाग में सूचीबद्ध विज्ञापन एजेंसी की सेवा लेने का निर्णय लेने हेतु स्वतन्त्र होंगे।	(नौ) सामान्यतः विभाग द्वारा चैनल के विज्ञापन व्यवस्थापकों को सीधे विज्ञापन निर्गत किया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में महानिदेशक सूचना विज्ञापन जारी करने के लिये विभाग में सूचीबद्ध विज्ञापन एजेंसी की सेवा लैने का निर्णय लेने हेतु स्वतन्त्र होंगे।
(दस) यह नीति लागू होने के 6 माह के भीतर चैनलों को विज्ञापन जारी करने हेतु एडवरटाइजिंग एजेंसियों की सूचीबद्धता के लिये महानिदेशक द्वारा कार्यवाही की जायेगी।	(दस) विलोपित।
(ग्यारह) DAVP दरों पर किसी भी चैनल को जो DAVP में सूचीबद्ध हो, विज्ञापन जारी करने का निर्णय लेने का अधिकार महानिदेशक सूचना का होगा और इस हेतु चैनल का विभाग में सूचीबद्ध होना आवश्यक नही होगा।	(ग्यारह) DAVP दरों पर किसी भी चैनल को जो DAVP में सूचीबद्ध हो, विज्ञापन जारी करने का निर्णय लेने का अधिकार महानिदेशक सूचना का होगा और इस हेतु चैनल का विभाग में सूचीबद्ध होना आवश्यक नही होगा।
	(बारह) किसी प्रतिष्ठित चैनल को किसी विशेष परियोजना जैसे– कान्क्लेव/इवेन्ट आदि अथवा सूचना विभाग की आवश्यकतानुसार विशेष परिस्थितियों पर व्यावसायिक दर पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के अनुमोदन उपरान्त महानिदेशक सूचना द्वारा विज्ञापन निर्गत किया जायेगा।

(तेरह) चैनल द्वारा सूचीबद्वता हेतु दी गई सूचना अथवा तथ्य अथवा चैनल द्वारा सूचीबद्धता हेतु प्रदान की गई सूचना एवं अभिलेखों के असत्य पाये जाने अथवा आवश्यक अभिलेखों के पूर्ण न करने अथवा अन्य किसी दशा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो सूचीबद्धता समिति उपयुक्त समझे, तो चैनल की सूचीबद्वता निरस्त कर सकती है।

नियम 9. को कमांकित किया जाना

5 मूल नियमावली में नियम 8 को नियम 9 के रूप में कमांकित कर दिया जायेगा।

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

Government of Uttarakhand
Information Section-1
No.- 430/XXII(I)/2021/1(11)15
Dated 11December, 2021

In exercise of power conferred by the proviso to Article 162 of the constitution of India, the Governor pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Electronic Media Advertising Accreditation Rules, 2015 (as amended from time to time), namely: -

The Uttarakhand Electronic Media Advertisement Accreditation (Amendment) Rules, 2021

Short title and commencement 1 1(a) These rule may be called the Uttarakhand Electronic Media Advertisement Accreditation (Amendment) Rules, 2021.

(b) It shall come into force at once.

Amendment of Rule6 2 (2) The Uttarakhand Electronic Media Advertisement Accreditation Rules, 2015 (hereinafter referred to as the principal rules), for the clauses (i), (iii), (iv), (vii) and (xiv) of the subrule(2) of existing rule 6 set out in column-1 below the Clauses set out in column-2 shall be substituted namely-

	Column-1	**Column-2**
	Existing Clause	**Hereby Substituted Clause**
6 (2)	(i) The channel has been running for a minimum period of 16 hours (7AM to 11PM) per day for a minimum period of one year.	(i) The channel should be licensed under the category of News Channel in the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India and has been broadcasting for a minimum period of one year.
	(iii) Report of the Commissioner of Entertainment Tax of the state or Electronic Media Monitoring Center (GOI) or any reputed organization as may be prescribed by the Director-General in respect of the channel being broadcast regularly.	(iii) Omitted

	(iii) Report of the Commissioner of Entertainment Tax of the state or Electronic Media Monitoring Center (GOI) or any reputed organization as may be prescribed by the Director-General in respect of the channel being broadcast regularly.	(iii) Omitted
	(iv) A minimum total 80 minutes news bulletin based on Uttarakhand is being broadcast by the channel daily for 3 months. The duration of 80 minutes shall not include talk show, interview and advertisements.	(iv) Minimum 3 bulletins of 30-30 minutes based on Uttarakhand are being broadcast daily by the channel, in respect of which the channel shall have to provide footage of news bulletin 3 months prior to the date of application.
	(vii) Verification of the cable broadcast will be checked by the District Information Officer or the District Entertainment Tax Officer through the concerned District Magistrate. In case of discrepancy in the records submitted by the concerned District Information Officer and the channel, the final decision of the Director General of Information will be valid.	(vii) regarding the verification of broadcasting in cable, the channel shall have to obtain a certificate from the cable operators and verify it with the District Information Officer and make it available in the format prescribed by the department in the form of a record for empanelment. The said format shall be prescribed separately by the Director General of Information.
	(xiv) In order to list the channel, the Hon'ble Chief Minister/Departmental Minister of Uttarakhand can list the channel on certain points of the above criteria, giving relaxation at his discretion.	(xiv) The channel may be empanelment by giving relaxation on the above said parameters for empanelment on approval of Honble ChiefMinister/Departmental Minister by the Administrative Department.

Amendment of Rule7

3. In the principal rules in the existing rule 7 set out in column -1 below

(i) for sub-rule (1), the sub-rule set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1	Column 2

Existing subrule	Hereby substituted
7. Rate fixation and issuing advertisements	7. Rate fixation
(1) Advertisement of the channel shall be issued in threetime bands by the Director General.	
(i) Prime Time Band 05:00 PM to 11:00 PM	
(ii) Second Prime Band 12:00 PM to 04:59 PM	
(iii) Third Prime Band 07:00 AM to 11:59 AM	(1) Advertisement may be issued by the department for any time period
The Director General shall have the right to decide which channel's advertisement should be broadcast in which time band.	
For the clauses (a), (b), (c)and (d) of the existing sub rule (2) set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted namely	
(ii) **Column-1**	**Column-2**
Existing clause	**clauses hereby substituted**
(2) Departmental rates shall be in 4 categories	(2) Departmental rates shall be in 4 categories
(a) Eligibility conditions for Rs. 1200 per 10 seconds	**(a) Eligibility conditions forRs. 1200 per 10 seconds**
(i) The channel is being broadcasted on cable TV in all the district	(i) The channel is being broadcasted on cable TV in all the district

headquarters of Uttarakhand and in minimum 15 areas in the urban areas (whose population is 10 thousand or more) mentioned in Appendix 'A'.	headquarters of Uttarakhand and in minimum 15 areas in the urban areas (whose population is 10 thousand or more) mentioned in Appendix 'A'.
and	and
(ii) The channel should have tied up with minimum 4 DTH service providers	(ii) The channel should have been broadcasting on minimum 4 DTH service providers.
and	and
(iii) Minimum number of outside broadcasting van is 1, which shall be made functional within the time period prescribed by the Director General Information.	(iii) Minimum number of outside broadcasting van/portable Live View is o.
and	and
(iv) DAVP Empanelment is necessary.	(iv) DAVP Empanelment is necessary.
and	and
(v) The broadcast of the channel is mandatory for 24 hours.	(v) The broadcast of the channel is mandatory for 24 hours.
(b) **Eligibility conditions for Rs. 800 per 10 seconds**	**(b) Eligibility conditions for Rs. 800 per 10 seconds**
(i) Broadcasting on cable TV in minimum 9 district headquarters (along with State Headquarters) and minimum 10 areas in urban areas mentioned in Appendix 'A'.	(i) broadcasting on cable TV in minimum 13 district headquarters (along with State Headquarters) and minimum 10 areas in urban areas mentioned in Appendix 'A'.
or	Or
(ii) The channel should have tied up with minimum 3 DTH service providers in minimum 9 district	Omitted

	headquarters (along with district headquarters).	
	or	or
	The channel should have tied up with minimum 4 DTH service providers .	Broadcasting on minimum 3 DTH service providers.
	(c) Eligibility conditions for Rs. 400 per 10 seconds	**(c) Eligibility conditions for Rs. 400 per 10 seconds**
	(i) Broadcasting on cable TV in minimum 6 district headquarters (along with State Headquarters) and minimum 8 areas in urban areas mentioned in Appendix 'A'.	(i) Broadcasting on cable TV in minimum 13 district headquarters (along with State Headquarters) and minimum 8 areas in urban areas mentioned in Appendix 'A'.
	Or	or
	(ii) The channel should have tied up with minimum 2 DTH service providers in minimum 6 district headquarters (along with district headquarters).	Omitted
	or	or
	The channel should have tied up with minimum 3 DTH service providers	Broadcasting on minimum 2 DTH service providers.
	(d) Eligibility conditions for Rs 100 per 10 seconds	**(d) Eligibility conditions for Rs. 100 per 10 seconds**
	The Director General may allow the lowest rate of the channel concerned on fulfillment of the condition of Rule 6.	Broadcasting on minimum One DTH provider.
Other rules to be numbered	4. In the principal rules, after clause (d) of sub-rule (2) of rule 7, the existing rule shall be numbered as rule 8 and for the existing rule set out in column 1, the rule set out in column 2 shall be substituted.	
	(i)Omitted	8(i) Omitted

(ii) Again, prior to the date of coming into force of this amended rule, the channels listed at various rates in the Department shall be deemed to be listed at the old rates as on 30 September 2016. The channels which are already listed as per category a, b, c, d as prescribed in the policy, who want to get the new rates, they will have to apply under the provisions of the new listing. It will be solely the responsibility of the channel that they fulfill the standards as per the departmental policy. Otherwise, the listing of the previous listing will be canceled.	(ii) The list of channels empanelment previously in the department will be valid and limited to 6 months from the date of implementation of this revised rule. It will be mandatory for the channels listed in the department to submit the re-empanelment application form on the prescribed format within the said period under the provisions contained in the rules. The format of the application for empanelment will be determined by the Director General of Information.
(iii) The revision for increase in rates will be done at least at an interval of 3 years. The revised rates on the recommendation of the Departmental Listing Committee will be applicable only after the approval of the Administrative Department.for reduction in rates, the decision can be taken by the Administrative Department at any time on the recommendation of the Departmental Listing Committee.And there will be no time limit for this.	(iii) To increase or decrease the rates of given channel the empanelment committee constituted under para-4 of Rules cane take a decision any time according to rules described in para-7 keeping in view, the increase or decrease of DTH service providers or cable TV broadcast.
(iv) Rates will be applicable on pro-rata basis for Advertisement films of 15 second, 25 second, 35 second, 45 sec etc.	(iv) Rates will be applicable on pro-rata basis for Advertisement films of 15 second, 25 second, 35 second, 45 sec etc.
(v) Omitted	(v) Omitted
(vi) The Director General of Information will be the competent authority to sanction advertisement campaigns up to a maximum of Rs 3	(vi) Omitted

crore at a time. Advertisement campaign of more than this amount will be issued after the approval of the state government.	
(vii) The final approval for payment of advertisements shall be given by the Director General.	(vii) The final approval for payment of advertisements shall be given by the Director General.
(viii) The telecast certificate certifying the broadcast of the advertisement and an affidavit of its veracity shall be submitted by the channel before payment. In this regard, instructions will be issued by the Director General from time to time as required.	(viii) The telecast certificate certifying the broadcast of the advertisement and an affidavit of its veracity shall be submitted by the channel before payment. In this regard, instructions shall be issued by the Director General from time to time as required.
(ix) Normally the advertisement will be issued by the department directly to the advertising administrator of the channel, but in special circumstances the Director General will be free to decide to engage the advertising agency empaneled in the department for issue of advertisement.	(ix) Normally the advertisement shall be issued by the department directly to the advertising administrator of the channel, but in special circumstances the Director General shall be free to decide to engage the advertising agency empaneled in the department for issue of advertisement.
(x) Action will be taken by the Director General for empanelment of Advertising Agency to issue advertisements to channels within 6 months from the date of implementation of this policy.	(x) Omitted
(xi) The Director General of Information will have the right to decide on issue of advertisements at DAVP rates to any channel, which is listed in DAVP, and for this it will not be necessary for the channel to be listed in the department.(As	(xi) The Director General of Information shall have the right to decide on issue of advertisements at DAVP rates to any channel, which is listed in DAVP, and for this it shall not be necessary for the channel to be

amended 09 February, 2016)

empaneled in the department.

(xii) On the occasion of special projects like conclave/event etc. or on the need of Information department, Director General Information in special circumstances may issue advertisements on commercial rates to reputed channels after approval of Hon'ble Chief Minister Uttarakhand.

(xiii)If there is any change in the information or facts given by the channel for empaneled or the information and records provided by the channel for empaneled are found to be untrue or if the necessary records are not completed or in any other case, then the empaneled committee thinks it appropriate, Channel empaneled may be cancelled.

Rule 9. To be numbered

5 In the principal rule 8 shall be numbered as rule 9.

(Dr. Pankaj Kumar Pandey)

Secretary